राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 681वीं बैठक दिनांक 25/09/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :—

- 1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
- 3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
- 4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
- 5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
- डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No 9385/2022 M/s M.P.Industrial Development Corporation, Shri Ajay Kumar Jain, Excutive Engineer, 101, 1st floor, Atulya IT Part, Khandwa Road, Dist. Indore, MP - 452010, Prior Environment Clearance for Proposed Development of Tilghara Industrial Park at Village - Tilghara, Tehsil - Badnawar, Dist. Dhar, MP. Caregory-7-C, Industrial Estates/ Parks/ Complexes/ Areas, Export Processing Zones (Epzs), Special Economic Zones (Sezs), Biotech Parks, Leather Complexes. Env. Consultant: - M/s. Envisolve LLP, Indore.

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Development of Tilghara Industrial Park at Village - Tilghara, Tehsil - Badnawar, Dist. Dhar, MP. Caregory-7-C, Industrial Estates/ Parks/ Complexes/ Areas, Export Processing Zones (Epzs), Special Economic Zones (Sezs), Biotech Parks, Leather Complexes.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in the 605th SEAC dated 10/11/2023 wherein ToR was recommended.

PP has submitted the EIA report which was forwarded through SEIAA hence the same was scheduled in the SEAC 681st dated 25.09.2023 agenda, wherein the EIA was presented by PP shri Mr. P. Singh and their Env Consultant Mr Shubham Dubey M/s. ENVISOLVE LLP, Indore M.P. before the committee. PP submitted that:

MPIDC Limited proposes to Develop "Tilghara Industrial Park" in Dhar, Madhya Pradesh with an area of 150.14 Ha in Greenfield Land.

Few of the objectives that strive to achieve are:

- Establishment of state-of-the-art integrated industrial townships
- Skill Development
- Social Infrastructure
- Single Window Clearances

The design purpose of the Master Plan is to guide the creation of place. It is an environment where state-of-the- art facilities engage in a reciprocal relationship with dynamic form. Together they create a special place that caters to every aspect of industrial integrity. The Master Plan must strive to achieve a minimum quality of living and working spaces for the users and in the process attain long term viability for the proposed project.

STATUS OF THE PROJECT

Sr. No	Progress	Date
1.	Acceptance of Form-I along with Proposed ToR to the SEIAA	31.10.2022
2.	Presentation of ToR	10.11.2022
3.	ToR issued	23.12.2022
4.	Draft EIA Report submission to the MPPCB	02.01.2023
4.	Public Hearing	28.03.2023
4.	Final EIA Report submission to SEIAA	24.08.2023
5.	EIA Presentation to SEAC	25.09.2023

Sailent Features of the Project

Name of the project	Development of Tilghara Industrial Park by MPIDC
Category of Project.	"B1" as the proposed site is under Notified Industrial Area.

Plot/Khasra No.	Khasra no. 211/1/1 at Village: Tilghara, Tehsil: Badnawar, District: Dhar, Madhya Pradesh. (MP)
Land acquired	Total Land – 150.14 hac.
Power Requirement	3266.25 KVA, shall be sourced from 220 KV power grid substation of MPPKVVC
Estimated Cost of proposed project	79.43 Cr.
Water Demand and Source	1 MLD
Wastewater Generation	900 KLD CSTP is proposed by MPIDC. For effluent treatment, individual industry will make arrangements for the treatment of wastewater by the construction of ETPs and STP.
Municipal Solid waste Generation	1 to 2 Ton/Annum

PP further submitted that the project site at the Tilghara, Dhar is suitable site for the proposed industrial area development due to the following advantages:

- availability of barren land; hence no family will be affected,
- no litigation regarding Rehabilitation & Resettlement issue.
- the main motivation to develop Industrial Area Dhar (Tilghara) is Delhi-Mumbai Expressway, 1350 km long, 8-lane wide (expandable to 12) controlled –access expressway connecting India's capital New Delhi.
- Furthermore, the land has already been allotted to MPIDC and hence there is no need for tedious & lengthy acquisition process.

The responsibility of MPIDC will be site development, infrastructure development and allotment of plots for Industrial units. Infrastructure to be provided by MPIDC includes the following things:

- Industrial Plots Development
- Commercial Plots Development
- Major and Arterial Roads.
- Drainage System & Rainwater Harvesting

- Power Station & Electric Supply Line
- Street Lighting
- Green Area Development & Road Side Plantation
- Water Supply

During discussion committee suggested few proposals like Eco park development near water body within the industrial park other proposals like include 30% lighting through solar light, hanging bridge, greening and medow development, reservoir deepening, etc. in the CER programe PP accepted the proposals of the committee and incorporated all the avobe suggestions point in the CER programe.

PP has submitted the response of above quarries same date vide letter dated 25.09.2023. which was placed before the committee and the same found satisfactoryand acceptable hence the case was recommended for grant of Prior Environment Clearance for Proposed Development of Tilghara Industrial Park-Dhar at Khasra no. 211/1/1 at Village: Tilghara, Tehsil: Badnawar, District: Dhar, Madhya Pradesh. (MP). (Area- 150.14 hac.), Cat. -7(C). Subject to the following special conditions:

(A) Statutory compliance:

- 1. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB).
- 2. The provisions for the solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.
- 3. Zonal plans shall be prepared for sector-wise industrial units.
- 4. Periodic carrying capacity of the Indistrial Estate shall be evaluated.
- 5. All industries in the IA shall obtain necessary consents and authorization from the State Pollution Control Board .
- 6. Essential infrastructure for IA such as roads, water supply, drainage system for sewage and storm water, common ETP, Common STP, un-interupted power supply etc. shall be planned and implemented before operation of the any of the industrial units.

- 7. No Category- A, industry shall be permitted in the Industrial Estate without prior EC.
- 8. If even one 'Category –A' industry is planned in the proposed industrial estate, the entire industrial area shall be treated as Category-A irrespective of the area.

(B) Air quality monitoring and preservation

- 1. All the mitigation measures to reduce pollution as mentioned in EIA-EMP report shall be implemented in toto.
- 2. Ambient noise levels shall be regularly monitored and conform to the prescribed standards both during day and night. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality should be closely monitored during development/construction phase.
- 3. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB/SPCB.
- 5. The National Ambient Air Quality Emission Standards issued by the Ministry vide G.S.R. No. 826(E) dated 161h November, 2009 shall be complied with.

(C) Water quality monitoring and preservation

- 1. As committed, full-fledged CSTP of 900KLD capacity shall be install.
- 2. The existing water bodies in the project area shall be conserved and used for effective water management. No ground water shall be used in any case.
- 3. The effluent discharge shall conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, or as specified by the Madhya Pradesh Control Board while granting Consent under the Air/Water Act, whichever is more stringent.
- 4. Total fresh water requirement shall not exceed 1MLD.
- 5. Provision shall be made to construct rainwater harvesting structures for augmentation of ground water levels. Rain water harvesting for roof run-off and surface run- off, as plan submitted shall be implemented.

(D) Noise monitoring and prevention

1. Ambient noise levels shall be regularly monitored and conform to the prescribed standards both during day and night. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality should be closely monitored during development/construction phase.

(E) Energy Conservation measures

- 1. The energy sources for lighting purposes shall preferably be LED based.
- 2. The total power requirements for project will be 3266.25 KVA.
- 3. The power will be supplied by MPPKVCL
- 4. PP shall propose 30 % (979.87 KVA) Solar Power of the total power requirement. (3266.25 KVA).

(F) Waste management

- 1. Waste management shall be Construction and Demolition (C&D) Waste Management Rules, 2016.
- 2. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provisions of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016.

(G) Green Belt

- 1. Project Proponent shall develop 11 % Green Belt Area (16.5 hac.) along the periphery. Approx. 41,250 plants shall be planted. Also 33% green belt of their plot area shall be developed by individual industrial units.
- 2. The plantation shall be 5 row plantations by Miyawaki Method.
- 3. All plants shall be locally adapted and the present site should support their growth with suitable horticultural practices. Sufficient space, resources and man power for development and maintenance shall be provided in the plan.
- 4. List of Plant Species with Higher Sound Absorption Co-efficient:

S. No	Common Name	
1	Chirol	

2	Khamer
3	Kusum
4	Sitaphal
5	Anjan
6	Aamla

S. No.	Scientific Name	Hindi Name
	Trees	
1	Aegle marmelos	Bel
2	Ailanthus excelsa	Mahanim
3	Albizia lebbeck	Shirish
4	Azadirachta indica	Neem
5	Bauhnia purpurea	Kachnar
6	Bombax ceiba	Semal
7	Cassia fistula	Amaltas
8	Dalbergia sissoo	Shisham
9	Delonix regia	Gulmohar
10	Eucalyptus sp	Neelgiri
11	Ficus bengalensis	Bargad
12	Ficus hispida	Doonur
13	Ficus religiosa	Peepal
14	Leucaena leucocephala	Subabool
15	Mangifera indica	Aam

16	Morus alba	Shahtoot
17	Phoenix sylvestris	Khajoor
18	Polyalthia longifolia	Ashok
19	Syzygiumcumini	Jamun
20	Tamarindus indica	Imli
21	Ziziphus mauritiana	Ber

(H) Safety, Public hearing and Human health issues

- 1. A comprehensive plan for disaster management and mitigation be developed taking in to account the products, processes and hazardous waste if any and its disposal. The plan should also include financial provisions for the same and integrate these within EIA/EMP
- 2. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- 3. As per the Ministry's Office Memorandum F. No. 22-65/2017-IA.III dated 30th September, 2020, the project proponent shall abide by all the commitments made by them to address the concerns raised during the public consultation. The project proponent shall initiate the activities proposed by them, based on the commitment made in the public hearing, and incorporate in the Environmental Management Plan.
- 4. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

5. There shall be adequate space inside the plant premises earmarked for parking of vehicles for raw materials and finished products, and no parking to be allowed outside on public places.

(I) ENVIRONMENT MANAGEMENT PLAN & CER

Sr. No.	Туре	Description	Capital Cost in Lakh	Recurring Cost in Lakh
1	Water Pollution Control Measures	CSTP	500	
2	Greenbelt	Green Cover within Industrial Park	150	
3	Eco	Park	70	
4	Pollution Control Measures	Ambient Air quality, water, noise level & soil quality monitoring	50	10% of Capital Cost
5	Solid Waste Management	Area development for storage	10	will be the recurring cost
		Collection bins	10	
		Transport vehicles	50	
6	Solar lighting	Along the roads	90	
7	Strom Water Drains & pond	Along the roads	100	
8	Sewage network	Along the roads	30	
		Total	990 Lakh	

(I) Corporate Environment Responsibility

1. Under CER activity, capital cost is Rs. 1.1 Cr proposed for different activities as mentioned below:

S.No.	Particulars	Total	
1.	We will develop Eco-park at the adjacent of the talab of our project site with free access to people to adjoining area for entertainment and health benefit. Following works has been proposed- Development of Eco track around the talab. All the street lights, garden lights will be solar based Development of Nature Trails. Development of Gazebo. Development of Trails. Development of common seating benches. Arrangement of water sprinklers. Development of hanging bridge Greening and Mido development Deepening of Pond	1.0 Cr	
2	Provision for Solar lighting in the adjoining villages .	0.10	
	Toatl 1.10 Crore		

- 1. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
- 2. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for

standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/ forest/ wildlife norms/ conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and or shareholders /stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.

- 3. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- 4. Fund should be exclusively earmarked for the implementation of EMP through a separate bank account.
- 5. The proposed EMP cost is Rs. 990lakhs and 10% of Capital Cost shall be the recurring cost
- 6. 10% of capital cost shall be as recurring cost and out of which the Environment Monitoring Cost for the project is 50 lakhs and Rs. 150 lakhs is proposed for green belt development.
- 7. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six-Monthly Compliance Report.
 - 8. Self-environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

X. Miscellaneous

- 1. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC.
- 2. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
- 3. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.

- 4. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
- 5. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/ High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.
- 2. Case No 10545/2023 Shri NAGENDRA SINGH, OIC-MPSMCL (उपमहाप्रबंधक(संभागीय कार्यालय टीकमगढ़, MP. Nagar sector no. 01 Sivani sadan Mukhtyarganj, Bihind Jhankar Takeej Gali no. 03, Raghurajanagar Tikamgarh (M.P.), Prior Environment Clearance for Kachhora Ugad Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (9600 cum per year) (Khasra No. 146), Village-Kachhora, Tehsil-Palera, District-Tikamgarh (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री नागेन्द्र सिंह एवं श्री जेड अली, खनिज अधिकारी, जिला टीकमगढ़ एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 25/9/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला टीकमगढ़ के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ कमांक—41 के सरल कमांक—19 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान उर .नदी पर ग्राम Kachhora Ugad के निकट 2.00 हे. क्षेत्रफल पर 9600 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम. एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी—2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्ती एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 9600 घनमीटर / वर्ष हेत् पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.41 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.33 लाख प्रति वर्ष ।
- 2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.31 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए प्राथमिक विद्यालय, कछोरा के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	31,000

 निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्राम कछोरा उगड़ के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2400

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन समिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अविध तक कराया जायेगा ।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- 🗸 एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- रिपः वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल/पुलिस थाना/आंगनवाड़ी केंद्र/तहसील कार्यालय/अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख रखाव किया जावेगा ।
 - परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

3. Case No 10531/2023 Shri SHASHI SINGH, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second Floor, Jail Road, Arera Hills, District - Bhopal (M.P.) 462011. Prior Environment Clearance for Murgakheda River Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (81000 cum per year) (Khasra No. 206/2 & Other), Village-Murgakhera, Tehsil-Narsimhapur, District-Narsimhapur (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 25/9/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री शशि सिंह. एवं श्री सुमित गुप्ता, खनिज निरीक्षक, जिला नरसिंहपुर उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी	Shri SHASHI SINGH, AUTHORIZED PERSON, The Madhya Pradesh State Mining Corporation Limited, Paryavas Bhawan, Block No. 1 (A), Second	
/ का नाम व पता	Floor, Jail Road, Arera Hills, District - Bhopal (M.P.) 462011	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	206/2 & Others (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट 5.00 hectare. लेंड)	
स्थल	Village Murgakheda, Tehsil Narsinghpur District Narsinghpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2– 2019–12–1–पार्ट–6 दिनांक 31 / 05 / 23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी—2	
रेत प्रकरणों में नदी का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—81,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत—81,000 घनमीटर / वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि	\ / 3	
में अन्य खदानें	कमांक 1020 दिनांक 19/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी	/ -3 3	
की अनापित्ति	कमांक 1020 दिनांक 19/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता	

	[
	क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला नरसिंहपुर के एकल प्रमाण–पत्र
अनापत्ति	क्रमांक 1020 दिनांक 19/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के
	रमारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा
	संस्थान एवं जलीय निकाय/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण
	कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत मुर्गाखेड़ा जिला नरसिंहपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–6 दिनांक
पंचायत की अनापत्ति	19/07/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–50 पर दर्ज है, जिसमें
	माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—81,000 मै.टन उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध
	परियोजना प्रस्तावक द्वारा 81,000 घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु
	आवेदन किया गया था।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 81,000 घनमीटर / वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- 1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16,15 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 07.88 लाख प्रति वर्ष ।
- 2. नर्मदा नदी में स्थित होने के कारण इस खदान में केवल मेन्युअल माईनिंग ही की जावेगी ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 / 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
सी. ई. आर. मद से 1,00,000 रुपये की राशि ग्राम मुर्गाखेड़ा के Health & Wellness Center के खाते में भू — प्रवेश के 03 माह के अंदर जमा की जावेगी ।	1,00,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 6000 .वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
-----	------------------------------	---------------------	---------------------

1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1—3 पंक्ति— खस, नागर मोथा, लेमन ग्रास गटायन के बीज एंव स्थानीय घास एंव स्थानीय घास	1400
		4–5 पंक्ति – कटंग बांस	500
		6 पंक्ति — गूग्ल, करंज, जामुन, लसोड़ा खमेर, कहवा, अर्जुन, शहतूत एवं चिरोल, आम अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	200
2	ग्राम— मुर्गाखेड़ा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	3900

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन सिमिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अविध तक कराया जायेगा ।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✔ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख रखाव किया जावेगा ।
- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

4. <u>Case No 10584/2023 Shri BALVEER TOMAR, OIC-MPSMCL (किनिष्ठ प्रबंधक (जिला कार्यालय छतरपुर, H. No. 51, Gilowariyas School wali Road, Gandhi Colony, Chhatarpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Baarbandh-3 Sand Quarry in an area of 1.50 ha. (12000 cum per year) (Khasra No. 672), Village- kadari, tehsil & District Chhatarpur (MP)</u>

परियोजना प्रस्तावक श्री बलबीर तोमर एवं श्री अमित मिश्रा, खनिज अधिकारी, जिला छतरपुर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 25/9/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला छतरपुर के अनुमोदित डी.एस.आर के सरल कमांक—48 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान बुराह नाला नदी पर ग्राम kadari के निकट 1.50 हे. क्षेत्रफल पर 12,000 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम. एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके

आधार पर बी—2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान का कुछ भाग डूब में है अतः कुल खनन् योग्य क्षेत्र केबल 0.6 हे. ही बचता है अतः 12000 घन मीटर प्रतिवर्ष के स्थान पर मात्र 7,200 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन् की जा सकेगी । प्रस्तुत जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—7,200 घनमीटर / वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- 1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.91 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 2.41 लाख प्रति वर्ष ।
- 2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.38 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए सरकारी हाई स्कूल, कदारी के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी	38,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 3 पंक्तियों में(3-1पंक्ति - करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि स्थानीय प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	600
2	ग्राम कादरी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ में पोधों का रख-रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / र	1200

्रवृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति/स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।

- ✓ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड को काटा / उखाडा नहीं जायेगा ।
- √ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख — रखाव किया जावेगा ।
- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।
- 5. Case No 10585/2023 Shri BALVEER TOMAR, OIC-MPSMCL (कनिष्ठ प्रबंधक (जिला कार्यालय छतरपुर, H. No. 51, Gilowariyas School wali Road, Gandhi Colony, Chhatarpur (M.P.) Prior Environment Clearance for Baarbandh-3 Sand Quarry in an area of 4.00 ha. (5700 cum per year) (Khasra No. 2/1011), Village- Kurela, Tehsil Rajnagar, District Chhatarpur (MP)

परियोजना प्रस्तावक श्री बलबीर तोमर एवं श्री अमित मिश्रा, खनिज अधिकारी, जिला छतरपुर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 23/9/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला छतरपुर के अनुमोदित डी.एस.आर के सरल कमांक 34 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान उर्मिल नदी पर ग्राम Kurela के निकट 4.00 हे. क्षेत्रफल पर 5700 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी—2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्ती एवं संलग्नक—ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्ती के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 5700 घनमीटर / वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- 1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.53 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 03.30 लाख प्रति वर्ष।
- 2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.23 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय प्राथमिक विद्यालय, राजापुर के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	23,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 3 पंक्तियों में(3-1पंक्ति – करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि स्थानीय प्रजातियाँ (दूरी फीट 2.5 से 2.0 प्रति पौधा)	1900
2	ग्राम कुरेला के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींब्, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2900
		कुल	4800

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन सिमिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अविध तक कराया जायेगा ।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- √ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े—तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमित पर पौधरोपण एवं रख रखाव किया जावेगा । परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।
- 6. <u>Case No 10539/2023 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), P.K. Dhabai, near Kali mandir, Narmadapuram (M.P.), Prior Environment Clearance for Shitaljhiri Sand Quarry in an area of 0.70 ha. (3360 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Sitaljhiri, Tehsil-Shahpur, District-Betul (MP)</u>

परियोजना प्रस्तावक श्री प्रमोद धाबई एंव श्री बी.के, नागवंशी, खनिज निरीक्षक, जिला बैतूल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डाँ०. शशांक मेसर्स ईको कंसटेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए के द्वारा

दिनांक 25/9/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला बैतूल के अनुमोदित डी. एस.आर के पृष्ठ कमांक—52 के सरल कमांक—33 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान माचना नदी पर ग्राम Shitaljhiri के निकट 0.700 हे. क्षेत्रफल पर 3360 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी—2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्ती एवं संलग्नक—ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्ती के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 3360 घनमीटर / वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 01.53 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 01.38 लाख प्रति वर्ष ।
- 2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.12 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	12,000/-

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 640 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	200
		5-4पंक्ति -कटंग बांस) दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा(200
		6पंक्ति -अगय, सीताफल, करंज, जामुन,	200

		कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ जिनको जानवरों द्वारा नुकसान न पहुँचाया जा सके)दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	
2	ग्राम शीतलझिरी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	240

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन सिमिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अविध तक कराया जायेगा ।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- 🗸 एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा ।

परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

7. <u>Case No 10557/2023 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), P.K. Dhabai, near Kali mandir, Narmadapuram (M.P.), Prior Environment Clearance for Kumhariya Sand Mine in an area of 0.70 ha. (6468 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Kumhariya, Tehsil-Betul, District-Betul (M.P.).</u>

परियोजना प्रस्तावक श्री प्रमोद धाबई एंव श्री बी.के, नागवंशी, खनिज निरीक्षक, जिला बैतूल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डाँ०. शशांक मेसर्स ईको कंसटेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 25/9/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला बैतूल के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ कमांक—52 के सरल कमांक—24 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान माचना नदी पर ग्राम Kumhariya के निकट 0.7 हे. क्षेत्रफल पर 6468 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी—2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्ती एवं संलग्नक—ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्ती के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 6468 घनमीटर / वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 01.52 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 1.39 लाख प्रति वर्ष ।
- 2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.11 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	11,000/-

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कमवृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	240
		5-4पंक्ति -कटंग बांस) दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा(150
		6पंक्ति -अगय, सीताफल, करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ जिनको जानवरों द्वारा नुकसान न पहुँचाया जा सके)दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	150
2	ग्राम कुम्हरिया के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	300
		`कुल	840

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन समिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अविध तक कराया जायेगा ।
- √ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड को काटा / उखाडा नहीं जायेगा ।
- ✔ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख — रखाव किया जावेगा ।

परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

8. <u>Case No 10556/2023 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), P.K. Dhabai, near Kali mandir, Narmadapuram (M.P.), Prior Environment Clearance for Bhilawadi Sand Mine in an area of 0.80 ha. (5460 cum per year) (Khasra No. 97), Village-Bhilawadi, Tehsil-Betul, District-Betul (MP)</u>

परियोजना प्रस्तावक श्री प्रमोद धाबई एंव श्री बी.के, नागवंशी, खनिज निरीक्षक, जिला बैतूल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डाँ०. शशांक मेसर्स ईको कंसटेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 25/9/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला बैतूल के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ट कमांक—52 के सरल कमांक—26 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान माचना नदी पर ग्राम Bhilawadi के निकट 0.800 हे. क्षेत्रफल पर रेत 5460 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम. एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी—2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्ती एवं संलग्नक—ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 5460 घनमीटर / वर्ष हेत् पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

 पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 01.56 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 1.37 लाख प्रति वर्ष ।

2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.11 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	11,000/-

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 960 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	250
		5-4पंक्ति -कटंग बांस) दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा(160
		6पंक्ति -अगय, सीताफल, करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ जिनको जानवरों द्वारा नुकसान न पहुँचाया जा सके)दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	250
2	ग्राम भिलावाड़ी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	300
कुल			960

[✓] वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन समिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अविध तक कराया जायेगा ।

- 🗸 प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- 🗸 एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख — रखाव किया जावेगा ।

परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से

लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

9. <u>Case No 10555/2023 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), P.K. Dhabai, near Kali mandir, Narmadapuram (M.P.), Prior Environment Clearance for Katangi Sand Mine in an area of 0.621 ha. (2384 cum per year) (Khasra No. 148), Village-Katangi, Tehsil-Ghoda Dongri, District-Betul (MP).</u>

परियोजना प्रस्तावक श्री प्रमोद धाबई एंव श्री बी.के, नागवंशी, खनिज निरीक्षक, जिला बैतूल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डाँ०. शशांक मेसर्स ईको कंसटेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 25/9/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला बैतूल के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ कमांक—52 के सरल कमांक—21 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान शासकीय नाला नदी पर ग्राम Katangi के निकट 0.621 हे. क्षेत्रफल पर 2384 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम. एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी—2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 2384 घनमीटर / वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 01.46 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 1.36 लाख प्रति वर्ष ।
- 2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	10,000/-

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 745 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	245
		5-4पंक्ति -कटंग बांस) दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा(100
		6पंक्ति -अगय, सीताफल, करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ जिनको जानवरों द्वारा नुकसान न पहुँचाया जा सके)दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	100
2	ग्राम कटंगी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	300
कुल			745

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन सिमिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अविध तक कराया जायेगा।
- प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड को काटा / उखाडा नहीं जायेगा ।
- √ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- टीप :वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

10. <u>Case No 10529/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC-MPSMCL (उप महाप्रबंधक (उप</u> कार्यालय, सागर, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Damoh (M.P.) Prior Environment Clearance for Sitanagar River Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (1000 cum per year) (Khasra No. 469), Village-Sitanagar, Tehsil-Patharia, District-Damoh (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 25/9/23 को परियोजना प्रस्तावक रमेश भूमरकर एवं श्री मेजर सिंग जमरा, खनिज अधिकारी तथा उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । खदान हेतु दर्शाये गये क्वाआडीनेट आंशिक रूप त्रुटिपूर्ण थे, जिन्हे खनिज अधिकारी द्वारा सुधारा गया है तथा तद्नुसार प्रस्तुतीकरण दिया गया है । इस संबंध में खनिज अधिकारी के पत्र क्रमांक 671 दिनांक 23/9/23 पी.पी.टी. के साथ संलग्न है । उपरोक्तानुसार डी. एस.आर. अनुमोदन की प्रत्याशा में परीक्षण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक,	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC-MPSMCL (उप महाप्रबंधक) उप कार्यालय,	
परियोजना / कम्पनी	सागर, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Damoh (M.P.)	
/ का नाम व पता		
खसरा नं. / क्षेत्रफल	469 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड) 5.00 hectare.	
(सरकारी / निजी)		
स्थल	Village Sitanagar, Tehsil Pathriya, District Damoh (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन्, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-2-	
	2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31/05/23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से	
	10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी—2	
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान सुनार नदी में स्थित है ।	
का नाम / गूगल इमेज		
अनुसार स्थिति		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत-1000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया ग्या	
	है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत—1000 घनमीटर/वर्ष हेतु	
	स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	
में अन्य खदानें	255 दिनांक 27 / 03 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें	
	संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	

की अनापत्ति	ما الما الما الما الما الما الما الما ا
का अनापात्त	255 दिनांक 27 / 03 / 23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर
	रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र
	एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की	,
अनापत्ति	255 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट,
	शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक,
	रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा
	संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण
	कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत सीता नगर जिला दमोह के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—23 दिनांक
पंचायत की अनापत्ति	19/06/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक—23 पर दर्ज है,
	जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—1716.72 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके
	विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1000 घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति
	हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—1,000 घनमीटर / वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- 1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.68 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 2.39 लाख प्रति वर्ष ।
- 2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि		राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय मध्य विद्यालय बड़ागांव शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी	के पालक	10,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्राम सीतानगर कीरत के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3000

- / वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन समिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अवधि तक कराया जायेगा ।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✔ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख – रखाव किया जावेगा ।
- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

11. Case No 10526/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC-MPSMCL (उप महाप्रबंधक (उप कार्यालय, सागर, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Damoh (M.P.) Prior Environment Clearance for Berkhedi River Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (2000 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Berkheri, Tehsil-Patharia, District-Damoh (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 25/9/23 को परियोजना प्रस्तावक रमेश भूमरकर एवं श्री मेजर सिंग जमरा, खनिज अधिकारी एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक,	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC-MPSMCL (उप महाप्रबंधक) उप कार्यालय,		
परियोजना / कम्पनी	सागर, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Damoh (M.P.)		
/ का नाम व पता			
खसरा नं. / क्षेत्रफल	1 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड)	5.00 hectare.	
(सरकारी / निजी)			
स्थल	Village- Belkhedi, Tehsil- Pathriya, District- Damoh (M.P.)		
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के		
	2019-12-1-पार्ट-6 दिनांक 31/05/23	द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक से	

	10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।
श्रेणी (बी—1 / बी—2)	बी–2
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान सुनार नदी में स्थित है।
का नाम / गूगल इमेज	9
अनुसार स्थिति	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—2,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया
	है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत—2,000 घनमीटर/वर्ष हेतु
	स्वीकृत है ।
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक
में अन्य खदानें	222 दिनांक 27 / 03 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें
	संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के एकल प्रमाण-पत्र कर्मांक
की अनापत्ति	222 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर
	रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र
	एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के एकल प्रमाण-पत्र कमांक
अनापत्ति	222 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट,
	शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक,
	रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण
	कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	
पंचायत की अनापत्ति	१८ १८ १८ १८ १८ १८ १८ १८
नवावरा का जनावाररा	आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के के सरल क्रमांक–7 पर दर्ज है,
	जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—2038.6656 घनमीटर उल्लेखित है,
	जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2,000 घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय
	स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

क्वेरी — परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो

संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—2,000 घनमीटर / वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.35 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.66 लाख प्रति वर्ष ।
- 2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.13 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय कारीखेरी के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी	13,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 3 पंक्तियों में(3-1पंक्ति - करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि स्थानीय प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	500
2	ग्राम बरखेडी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2500

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन सिमिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अविध तक कराया जायेगा ।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- 🗸 एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख — रखाव किया जावेगा ।
- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

12. <u>Case No 10552/2023 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), P.K. Dhabai, near Kali mandir, Narmadapuram (M.P.), Prior Environment Clearance for Nandu Sand Mine in an area of 2.90 ha. (13398 cum per year) (Khasra No. 91), Village-Nandu, Tehsil-Ghoda Dongri, District-Betul (MP)</u>

परियोजना प्रस्तावक श्री प्रमोद धाबई एंव श्री बी.के, नागवंशी, खनिज निरीक्षक, जिला बैतूल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डाँ०. शशांक मेसर्स ईको कंसटेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 25/9/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला बैतूल के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ कमांक—51 के सरल कमांक—3 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान नांदू नदी पर ग्राम Nandu के निकट 2.90 हे. क्षेत्रफल पर 13,398 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी—2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्ती एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 13,398 घनमीटर/वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.01 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 1.43 लाख प्रति वर्ष ।
- 2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.15 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	15,000/-

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 3480 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
	स्थान		

1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	880
		5-4पंक्ति -कटंग बांस) दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा(800
		6पंक्ति -अगय, सीताफल, करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ जिनको जानवरों द्वारा नुकसान न पहुँचाया जा सके)दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	800
2	ग्राम नंदू के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	जामुन, आम, शहतुत, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	1000
कुल			3480

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन सिमिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अविध तक कराया जायेगा ।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–ितरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख — रखाव किया जावेगा ।
- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

13. Case No 10524/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC-MPSMCL (उप महाप्रबंधक (उप कार्यालय, सागर, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Damoh (M.P.) Prior Environment Clearance for Simri Kirat River Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (1000 cum per year) (Khasra No. 93), Village Simri Kirat, Tehsil & District Damoh (M.P.)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 25/9/23 को परियोजना प्रस्तावक रमेश भूमरकर एवं श्री मेजर सिंग जमरा, खनिज अधिकारी तथा उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / का नाम व पता	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC-MPSMCL (उप महाप्रबंधक) उप कार्यालय, सागर, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Damoh (M.P.)	
खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	93 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड) 5.00 hectare.	
स्थल	Village Simri Kirat, Tehsil & District Damoh (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के पत्र क्रमांक 350 दिनांक 29/05/23 द्वारा स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी—2	
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान कोपरा नदी में स्थित है।	
का नाम / गूगल इमेज		
अनुसार स्थिति		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—1000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत—1000 घनमीटर / वर्ष हेतु स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक	
में अन्य खदानें	566 दिनांक 09 / 08 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी	,	
की अनापत्ति	566 दिनांक 09/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर	
	रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की	/	
अनापत्ति	566 दिनांक 09/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट,	
	शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक,	
	रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/	
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा	
	संस्थान एवं जलीय निकाय / तालाब / बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण	
	कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत परसोरिया जिला दमोह के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–3 दिनांक	
पंचायत की अनापत्ति	08/08/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् का प्रस्ताव पारित ।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की	
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक—22 पर दर्ज है,	
	जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—1032.3225 घनमीटर उल्लेखित है,	
	जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1000 घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय	

स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गईं जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 1000 घनमीटर / वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.64 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.00 लाख प्रति वर्ष ।
- 2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय विद्यालय पसोरिया पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी	10,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1से 3 पंक्तियों में(3-1पंक्ति - करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि स्थानीय प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	500
2	ग्राम सिमरी कीरत के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींब्, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2500

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन समिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अविध तक कराया जायेगा ।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- √ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख─रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख ─ रखाव किया जावेगा ।

परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त

उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

14. <u>Case No 10523/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC-MPSMCL (उप महाप्रबंधक (उप कार्यालय, सागर, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Damoh (M.P.). Prior Environment Clearance for Bijwar River Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (3000 cum per year) (Khasra No. 481), Village-Bijwar, Tehsil-Hatta, District-Damoh (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 25/9/23 को परियोजना प्रस्तावक रमेश भूमरकर एवं श्री मेजर सिंग जमरा, खनिज अधिकारी तथा उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक,	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC-MPSMCL (उप महाप्रबं	धक) उप कार्यालय,
परियोजना / कम्पनी	सागर, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Damoh (M.P.)	
/ का नाम व पता		
खसरा नं. / क्षेत्रफल	481 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड) 5.00 hectare.	
(सरकारी / निजी)		
स्थल	Village- Bijwar, Tehsil- Hatta, District- Damoh (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र कमांव	क एफ-19-2-
	2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31 / 05 / 23 द्वारा अनुबंध नि	ाष्पादन दिनांक से
	10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी—2	
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान ब्यारमा नदी में स्थित है ।	
का नाम / गूगल इमेज		
अनुसार स्थिति		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—3,000 घनमीटर / वर्ष हेतु अ	
	है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत–3,000 घ	ानमीटर / वर्ष हेतु
	स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के एकल प्र	प्रमाण-पत्र क्रमांक
में अन्य खदानें	227 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में	•
	संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है	
वन मण्डलाधिकारी	,	
की अनापत्ति	227 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की	
	रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन उ	जैव विविधता क्षेत्र

	एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार व	ी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक
अनापितत	227 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्रा	
पंचायत की अनापत्ति	24/01/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् से पंचायत को कोई
	आपित्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपो	र्ट परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज सरल क्रमांक-24 पर दर्ज है,
	जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल— 3626.7165 घनमीटर उल्लेखित है,
	जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3,000 घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय
	स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 3000 घनमीटर / वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- 1. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.05 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 2.52 लाख प्रति वर्ष ।
- 2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.15 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए सरकारी हाई स्कूल बंधा के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी	15,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 3 पंक्तियों में(3-1पंक्ति - करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि स्थानीय प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	500
	ग्राम बिजावर के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2500

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन सिमिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अविध तक कराया जायेगा ।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- √ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- ✓ टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख—रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख — रखाव किया जावेगा ।
- परिवहन मार्ग या अन्य स्थलों पर स्थनीय परिस्थितियों के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

15. Case No 10527/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC-MPSMCL (उप महाप्रबंधक (उप कार्यालय, सागर, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Damoh (M.P.). Prior Environment Clearance for Rajghat Pipariya River Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (1000 cum per year) (Khasra No. 126), Village-Rajghat Pipariya, Tehsil-Damoh, District-Damoh (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 25/9/23 को परियोजना प्रस्तावक रमेश भूमरकर एवं श्री मेजर सिंग जमरा, खनिज अधिकारी तथा उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC-MPSMCL (उप महाप्रबंधक) उप कार्यालय,
परियोजना / कम्पनी	सागर, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Damoh (M.P.)
/ का नाम व पता	

खसरा नं./क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	126 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	5.00 hectare.	
स्थल लीज स्वीकृति	Village Rajghat Pipariya, Tehsil & District Damoh (M.P.) मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ—19—2—		
	2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31 / 05 / 23 है 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।		
श्रेणी (बी-1 / बी-2)	बी-2		
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान कोपरा नदी में स्थित है।		
का नाम/गूगल इमेज अनुसार स्थिति			
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—1000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत—1000 घनमीटर / वर्ष हेतु स्वीकृत है ।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	215 दिनांक 27 / 03 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें		
वन मण्डलाधिकारी	संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।		
की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 215 दिनांक 27/03/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।		
तहसीलदार की अनापितत	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 215 दिनांक 27/03/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।		
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत परसोरिया जिला दमोह के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—2 दिनांक 08 / 06 / 23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के के सरल क्रमांक—20 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—1016.5605 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1000 घनमीटर/वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।		

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 1000 घनमीटर / वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.16 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 02.18 लाख प्रति वर्ष ।
- 2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय माध्यमिक विद्यालय, जोरटाला	10,000
पसोरिया पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी	

 निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण :-

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
2	ग्राम राजघाट पिपरिया के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींब्, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3000

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन सिमिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अविध तक कराया जायेगा ।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- 🗸 एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधें STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख - रखाव किया जावेगा ।

परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी। रोपित पौधे की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित किया जावेगा।

16. Case No 10592/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC-MPSMCL (उप महाप्रबंधक (उप कार्यालय, सागर, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Damoh (M.P.). Prior Environment Clearance for Hinota Narsinghgarh River Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (1000 cum per year) (Khasra No. 431, 584), Village-Hinota Narsinghgarh, Tehsil-Patharia, District-Damoh (MP)

परियोजना प्रस्तावक रमेश भूमरकर एवं श्री मेजर सिंग जमरा, खनिज अधिकारी, जिला दमोह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद के द्वारा दिनांक 25/9/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला दमोह के अनुमोदित डी.एस.आर के सरल कमांक—12 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान कोपरा नदी पर ग्राम Hinota Narsinghgarh के निकट 5.00 हे. क्षेत्रफल पर 1000 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी—2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्ती एवं संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तों के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 1000 घनमीटर / वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.50 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.66 लाख प्रति वर्ष ।
- 2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए नवीन प्राथमिक शाला हिनोता के पालक शिक्षक संघ में	10,000
अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी	

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	ग्राम हिनोता नरसिंहगढ़ के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींब्, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3000

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख─रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन सिमित / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अविध तक कराया जायेगा।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- √ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में /ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

17. Case No 10528/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC-MPSMCL (उप महाप्रबंधक (उप कार्यालय, सागर, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Damoh (M.P.). Prior Environment Clearance for Kulpura River Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (1000 cum per year) (Khasra No. 15), Village-Kulpura, Tehsil-Damoh, District-Damoh (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 25/9/23 को परियोजना प्रस्तावक रमेश भूमरकर एवं श्री मेजर सिंग जमरा, खनिज अधिकारी, जिला दमोह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक,	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC-MPSMCL (उप महाप्रबंधक) उप कार्यालय,		
परियोजना / कम्पनी	सागर, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Damoh (M.P.)		
/ का नाम व पता			
खसरा नं. / क्षेत्रफल	15 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड) 5.00 hectare.		
(सरकारी / निजी)			
स्थल	Village Kulpura, Tehsil & District Damoh (M.P.)		
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ–19–2–		

	2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31 / 05 / 23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक		
	से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।		
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी-2		
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान कोपरा नदी में स्थित है।		
का नाम / गूगल इमेज			
अनुसार स्थिति			
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—1000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया		
	है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत—1000 घनमीटर/वर्ष हेतु		
	स्वीकृत है ।		
500 मीटर की परिधि	,		
में अन्य खदानें	क्रमांक 219 दिनांक 27 / 03 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य		
	कोई खदानें संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है ।		
वन मण्डलाधिकारी	, , ,		
की अनापत्ति	क्रमांक २१९ दिनांक २७ / ०३ / २३ अनुसार १० किलोमीटर की परिधि में		
	टाईगर रिजर्व / नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव		
	विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।		
तहसीलदार की	,		
अनापत्ति	क्रमांक २१९ दिनांक २७/०३/२३ अनुसार ५०० मीटर की परिधि में मानव		
	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/		
	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा		
	संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण		
TITE TOT / TITE	कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है । ग्राम पंचायत खडेरा जिला दमोह के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—2 दिनांक		
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खंडरा जिला दमाह के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—2 दिनाक 01/07/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् से पंचायत को कोई		
प्यायत का अभाषाता	अापितत नहीं है		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट			
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज के सरल क्रमांक—15 पर दर्ज		
9/1 1/91(1	है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—1037.2035 घनमीटर उल्लेखित है,		
	ि , जिसमें नाइगवल निगरल पाटारावल—1037.2033 वर्गनाटर उल्लाखरा है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1000 घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय		
	स्वीकृति हेत् आवेदन किया गया था ।		
	रनान्ध्रार एपु भावस । वर्षा असा असा ।		

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 1000 घनमीटर / वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.58 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 1.73 लाख प्रति वर्ष ।
- 2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए उच्चतर माध्यामिक विद्यालय बनवार के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी	10,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 3 पंक्तियों में(3-1पंक्ति - करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि स्थानीय प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	200
	ग्राम कलपुरा के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींब्, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2800

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन सिमिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अविध तक कराया जायेगा।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✓ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–ितरछे) लगाये जायेंगे ।
- टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में /ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमित पर पौधरोपण एवं रख रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

18. Case No 10525/2023 Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC-MPSMCL (उप महाप्रबंधक (उप कार्यालय, सागर, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Damoh (M.P.). Prior Environment Clearance for Imliya Rawat River Sand Quarry in an area of 5.00 ha. (1000 cum per year) (Khasra No. 343), Village-Imaliya Rawat, Tehsil-Patera, District-Damoh (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 25/9/23 को परियोजना प्रस्तावक रमेश भूमरकर एवं श्री मेजर सिंग जमरा, खनिज अधिकारी, जिला दमोह एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक,	Shri RAMESH BHUMARKAR, OIC-MPSMCL (उप महाप्रबंधक) उप कार्यालय,	
परियोजना / कम्पनी	सागर, A-80 Pebble Bay, In Fornt of Asnani School, Damoh (M.P.)	
/ का नाम व पता		
खसरा नं./क्षेत्रफल	343 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड) 5.00 hectare.	
(सरकारी / निजी)		
स्थल	Village- Imliya rawat, Tehsil- Patera, District- Damoh (M.P.)	
लीज स्वीकृति	मध्यप्रदेश शासन, खनिज विभाग के पत्र क्रमांक एफ-19-2-	
	2019—12—1—पार्ट—6 दिनांक 31 / 05 / 23 द्वारा अनुबंध निष्पादन दिनांक	
	से 10 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत ।	
श्रेणी (बी-1/बी-2)	बी—2	
रेत प्रकरणों में नदी	यह खदान ब्यारमा नदी में स्थित है।	
का नाम / गूगल इमेज		
अनुसार स्थिति		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत—1000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया	
	है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार रेत—1000 घनमीटर/वर्ष हेतु	
500 100 100	स्वीकृत है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के एकल प्रमाण-पत्र	
न अन्य खदान	क्रमांक 582 दिनांक 09 / 08 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दमोह के एकल प्रमाण-पत्र	
की अनापत्ति	कमांक 582 दिनांक 09/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में	
9/1 01/11/11(()	टाईगर रिजर्व/नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य /ईको सेंसेटिव जोन जैव	
	विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की		
अनापत्ति	क्रमांक 582 दिनांक 09/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव	

	बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता /नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत महुआखेड़ा जिला दमोह के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 14 दिनांक 16 / 04 / 23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर रेत खनन् से पंचायत को
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कोई आपितत नहीं है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक—13 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—1015.4625 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1000 घनमीटर / वर्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—बी अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 1000 घनमीटर / वर्ष हेत् पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.05 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 02.61 लाख प्रति वर्ष ।
- 2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय विद्यालय कुलुवा पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी	10,000

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर) नदी तट से 1 से 3 पंक्तियों में(3-1पंक्ति - करंज, अर्जुन, शहतूत, जामुन, कटंग बांस, खस घास आदि स्थानीय प्रजातियाँ (दूरी 2.0	500

		से 2.5 फीट प्रति पौधा)	
2	ग्राम इमलिया रावत के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आंवला, मुनगा, अमरुद, सीताफल, पपीता, आम, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	2500

- ✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं/ग्राम पंचायत/स्थानीय वन समिति /स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था/सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अविध तक कराया जायेगा।
- 🗸 प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- √ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में /ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

19. <u>Case No 10554/2023 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), P.K. Dhabai, near Kali mandir, Narmadapuram (M.P.), Prior Environment Clearance for Ratamati Sand Mine in an area of 2.55 ha. (21573 cum per year) (Khasra No. 01), Village-Ratamati, Tehsil-Bhainsdehi, District-Betul (MP)</u>

परियोजना प्रस्तावक श्री प्रमोद धाबई एंव श्री बी.के, नागवंशी, खनिज निरीक्षक, जिला बैतूल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डाँ०. शशांक मेसर्स ईको कंसटेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 25/9/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला बैतूल के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ कमांक—52 के सरल कमांक—32 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान ताप्ती नदी पर ग्राम Ratamati के निकट 2.55 हे. क्षेत्रफल पर 21,573 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम.एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी—2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो

एवं संलग्नक—ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 21,573 घनमीटर / वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.01 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.43 लाख प्रति वर्ष ।
- 2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	20,000/-

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3060 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	1060
		5-4पंक्ति -कटंग बांस) दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा(500
		6पंक्ति -अगय, सीताफल, करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ जिनको जानवरों द्वारा नुकसान न पहुँचाया जा सके)दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	500
2	ग्राम रातामाटी के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	1000
		- কুল	3060
✓ वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन सिमिति			

जायेगा।

- √ प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- √ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख-रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में /ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख — रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

20. <u>Case No 10551/2023 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), P.K. Dhabai, near Kali mandir, Narmadapuram (M.P.), Prior Environment Clearance for Barelipar Sand Mine in an area of 0.36 ha. (5400 cum per year) (Khasra No. 63), Village-Barelipar, Tehsil-Ghoda Dongri, District-Betul (MP)</u>

परियोजना प्रस्तावक श्री प्रमोद धाबई एंव श्री बी.के, नागवंशी, खनिज निरीक्षक, जिला बैतूल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डाँ०. शशांक मेसर्स ईको कंसटेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 25/9/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला बैतूल के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ कमांक 51 के सरल कमांक 14 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान बरेलीपार नदी पर ग्राम Barelipar के निकट 0.36 हे. क्षेत्रफल पर 5400 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम. एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी—2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्ती एवं संलग्नक—ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्ती के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत—5400 घनमीटर / वर्ष हेत् पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

 पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि क्त. 01.46 लाख एवं रिकृरिंग राशि क्त. 01.36 लाख प्रति वर्ष ।

2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	10,000/-

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 432 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	110
		5-4पंक्ति -कटंग बांस) दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा(100
		6पंक्ति -अगय, सीताफल, करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ जिनको जानवरों द्वारा नुकसान न पहुँचाया जा सके)दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	100
2	ग्राम बरेलीपार के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	122
		कुल	432

[✓] वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन सिमित / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अविध तक कराया जायेगा।

- 🗸 प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।
- ✔ एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े—तिरछे) लगाये जायेंगे ।
- टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में

नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में / ग्रामीण स्कूल / पुलिस थाना / आंगनवाड़ी केंद्र / तहसील कार्यालय / अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख — रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

21. <u>Case No 10553/2023 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), P.K. Dhabai, near Kali mandir, Narmadapuram (M.P.), Prior Environment Clearance for Khapriya Sand Mine in an area of 3.40 ha. (21900 cum per year) (Khasra No. 18), Village-Khapriya, Tehsil-Chicholi, District-Betul (MP)</u>

परियोजना प्रस्तावक श्री प्रमोद धाबई एंव श्री बी.के, नागवंशी, खनिज निरीक्षक, जिला बैतूल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डॉo. शशांक मेसर्स ईको कंसटेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 25/9/21 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला बैतूल के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ कमांक—52 के सरल कमांक—28 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में आने जाने हेतु नदी पर रपटे का निर्माण किया गया है । उक्त का संज्ञान लेते हुए समिति द्वारा रेत खनन् हेतु प्रकाशित मार्गदर्शिका के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि रपटे से डाऊन स्ट्रीम में 250 मीटर तक खनन् न किया जावे । इस संबंध में सिया स्तर पर निर्णय लिया जाये ।

खदान मोरण्ड नदी पर ग्राम Khapriya के निकट 3.40 हे. क्षेत्रफल पर रेत 21,900 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। समिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम. एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी—2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी एवं दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति निम्नानुसार विशिष्ट शर्तो एवं संलग्नक—ए अनुसार स्टेण्डर्ड शर्तो के साथ अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 21,900 घनमीटर / वर्ष हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

 पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.08 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.45 लाख प्रति वर्ष ।

 सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.15 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :--

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि(रु. में)
अधोसंरचना विकास के लिए ग्राम ऊपस्वस्थ केंद्र एवं कल्याण केंद्र आंगनवाड़ी/ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी	15,000/-

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 3 वर्षो तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4080 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	3-1पंक्ति - खस, नागरमोथा, लेमन ग्रास एवं स्थानीय घास प्रजातियाँ (दूरी 2.0 से 2.5 फीट प्रति पौधा)	1000
		5-4पंक्ति -कटंग बांस) दूरी 2.5 से 3.0 मीटर प्रति पौधा(1000
		6पंक्ति -अगय, सीताफल, करंज, जामुन, कहवा, अर्जुन, एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ जिनको जानवरों द्वारा नुकसान न पहुँचाया जा सके)दूरी 3.0 से 5.0 मीटर प्रति पौधा)	1000
2	ग्राम खाप्रिया के ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, शहतुत, जामुन, कटंग बास की प्रजातिया प्रमुख रूप से व पौधों की ऊंचाई 1.5 मी0 से ऊपर हो व अन्य फलदार वृक्ष एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया।	1048
		कुल	4080

[✓] वृक्षों का रोपण एवं वितरण प्रथम वर्ष में पोधों का रख—रखाव स्वयं / ग्राम पंचायत / स्थानीय वन सिमिति / स्थानीय पंजीकृत स्वयं सेवी संस्था / सेल्फ हेल्प ग्रुप (SHG) के द्वारा खनन् अविध तक कराया जायेगा।

टीप : वृक्षारोपण, बीजारोपण एवं रख–रखाव, मौके पर स्थल की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा एवं

[🗸] प्रस्तावित परियोजना में किसी भी पेड़ को काटा / उखाड़ा नहीं जायेगा ।

[√] एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति में पोधे STAGGRED (आड़े–तिरछे) लगाये जायेंगे ।

खदान क्षेत्र के आस पास पौधरोपण हेतु जगह उपलब्धता लंबाई एवं चौड़ाई में नहीं होने की स्थिति में नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में /ग्रामीण स्कूल /पुलिस थाना /आंगनवाड़ी केंद्र /तहसील कार्यालय /अन्य शासकीय भूमि, विभाग की सहमति पर पौधरोपण एवं रख — रखाव किया जावेगा। परिवहन मार्ग या अन्य स्थलो पर स्थनीय परिस्थितियो के कारण पर रोपण संभव न होने की स्थिति में नदी क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को फलदार, बाँस पौधे प्रदाय किये जावेगें तथा नदी क्षेत्र से लगे कृषको को प्राथमिकता दी जावेगी तथा पौधारोपण की शर्त अनुसार संख्या की पूर्ती की जा सकेगी।

22. <u>Case No 10593/2023 Shri PRAMOD DHABAI, Junior Manager (Field), P.K. Dhabai, near Kali mandir, Narmadapuram (M.P.), Prior Environment Clearance for Gandhigram Sand Mine in an area of 0.550 ha. (8019 cum per year) (Khasra No. 02), Village-Gandhigram, Tehsil-Ghoda Dongri, District-Betul (MP)</u>

परियोजना प्रस्तावक श्री प्रमोद धाबई एंव श्री बी.के, नागवंशी, खनिज निरीक्षक, जिला बैतूल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार डाँ०. शशांक मेसर्स ईको कंसटेंट सर्विस, लखनऊ, उ.प्र. के द्वारा दिनांक 25/9/23 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड जानकारी अनुसार जिला बैतूल के अनुमोदित डी.एस.आर के पृष्ठ कमांक—51 के सरल कमांक—12 पर सूचीबद्ध रेत खदान के संबंध में समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

खदान गांधीग्राम नदी पर ग्राम Gandhigram के निकट 0.55 हे. क्षेत्रफल पर 8019 घनमीटर प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता हेतु प्रस्तावित है। सिमिति द्वारा खदान से संबंधित माईनिंग प्लान, डी.एस.आर., के.एम. एल तथा जिला प्रशासन द्वारा जारी एकल प्रमाण पत्र का सिमिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसके आधार पर बी—2 श्रेणी अंतर्गत मूल्यांकन किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के परीक्षण अनुसार संवेदनशील पैरा मीटर्स के आधार पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा सरफेस मेप तथा परिवहन मार्ग तैयार किया गया है, जिसका अवलोकन कर सिमिति द्वारा अनुमोदन किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित खनिज अधिकारी द्वारा सिमिति को बताया गया कि खदान के अपस्टीम साईड पर लगभग 115 मी. की दूरी पर आवागमन हेतु रपटा जैसी संरचना (गूगल ईमेज) पाई गई है, जिसके संबंध में मौका निरिक्षण कर संरचना की वास्तविक स्थिति से सिमिति को एक सप्ताह के अंदर मय छायाचित्रों के साथ अवगत कराया जावेगा।

अतः समिति ने चर्चा उपरांत खनिज अधिकारी के मत को मान्य करते हुए उन्हे उपरोक्त जानकारी प्रस्तुत करने का एक सप्ताह का समय दिया जाता है।

23. Case No 10521/2023 Dr. Satish Saini, Senior Manager - EHS, M/s TACC LIMITED, KH. No. 566, 584, 592 & 599, Village-Sirsoda, Tehsil-Sonkatch, District-Dewas, (MP)-455118, Prior Environment Clearance for Manufacturing of anode material - 20,000 MTPA in an area of 40.4686 Ha. (Manufacturing of Anode Material-20000, Gypsum-4350, Graphitized coke fines-15790, CPC fine-6329, Furnace building refactory waste-100 TPA) at (Khasra No. 566/1, 584, 592 & 599) Village-Sarsoda, Tehsil-Sonkatch, District-Dewas, (MP). Caregory-5(e).

This is the case of Prior Environment Clearance for Manufacturing of Anode material under Category 5(e) at KHASARA. No. 566/1, 584, 592 & 599 at Village – Sirsoda (Notified IndustrialArea, Sirsoda), Tehsil - Sonkatch, District - Dewas, MP-455118, hence requires prior EC from SEIAA before initiation of activity at site. The application was online forwarded by SEIAA to SEAC for scoping so as to determine TOR to carry out EIA and prepare EMP for the project.

The case was presented by Env. Consultant Ms. Vasanti Tapadia and Dr.Manish Chandekar, M/s Perfact Enviro Solutions Pvt. Ltd. Delhi and Project Proponent Dr. Satish Saini and Mr. Atul Yadav, Legal Department and Mr. Raviraj Shah, Process Expert attended the meeting. During presentation following details were provided –

Salient features of the project:

- Proposed Production Capacity will be Achieved in Two Phases, Phase 1 (10,000 MTPA) & Phase 2 (10,000 MTPA) i.e. Total 20,000 MTPA.
- Project falls under "Prior Environmental Clearance" Category 5(e)- Petroleum products and petrochemical based processing including production of carbon black and electrode grade graphite.
- Total Project cost is Rs.1800 Crore.
- Baseline monitoring period and field study conducted- March 2023 to May 2023.
- Consent to Establish- Fresh has already been granted by MP Pollution Control Board, Bhopal
- This project is to strengthen the country's vision of "Aatmanirbhar Bharat".

Product & By-products Details-

S.No.	Product	Proposed quantity in MTPA			
1.	Manufacturing of Anode Material	20,000			
	By-Products				
1.	Gypsum	4350			
2.	Graphitized coke fines	15790			
3.	CPC fine	6329			
4.	Furnace building refactory waste	100			
	Total By Products	26569			

Project Details:

Site Address	KHASARA. No. 566/1, 584, 592 & 599 at Village- Notified industrial area Sirsoda, Tehsil - Sonkatch, District - Dewas, MP-455118.	
Production Capacity	20,000 MTPA	
Cost of Project	INR 1800 Crore	
High Temp Acheson	80 T x 24 Nos.	
Workshop(Scrubber)		
Power Requirement	MPEB (103 MW)	
Alternative Source of Power	DG sets (500 KVA x 4 Nos.)	
Water Requirement & Source	Total fresh water requirement is 20354 KLD & Source:	
	Dewas water works pvt. Ltd.	
Hazardous waste	Total HW is 4660 MTPA	
Total Allotted Area	404686 SQM	
Green belt development	141640 SQM (35 % of total allotted area)	
Manpower Requirement	2000 Nos. during the peak construction phase and 250	
	Nos. during operation phase (Both Direct & Indirect).	
Fuel	LNG & HSD	

Area Statement:

S.No.	Particulars	Total Area proposed (Sq. Mt.)			
Area Break-up					
1	Built up area	174385			
1.1	Production blocks	68630			
1.2	Utility (Cooling tower, Panel board,	15380			
	Boiler/furnace, Chilling plant, storage tanks)				
1.3	Raw Material Storage Area	6400			
1.4	Finished Goods Stores	1855			
1.5	Office Block including QA and QC	10000			
1.6	ETP and STP	15000			
1.7	Roads, Paths & parking area	57120			
2	Green Belt Area (35 %)	141640			
3	Open Area	88661			
	Total Allotted Area	404686			
4	Mine Pit	18240			
5	Aproach Road	3909			
6	Existing plots	2574			
	Total area	429409			

decided that being it's a case of Commom Effluent Treatment Plant and falls under B-1 category standard TOR prescribed by the MoEF&CC may be issued for conducting the EIA with following additional TORs and as per conditions mentioned in Annexure-D:-

After presentationand deliberations committee decided to recommend standard TOR prescribed by MoEF&CC along with following additional TORs as below -

- 1. Furnish details of CO₂ emission & quantification from different sources and their management plan w.r.t. carbon foot print .
- 2. Cost Benefit Analysis emphasising on importance of project's benefits to the country and the state and Contribution of Govt. schemes in the project, including subsidy.
- 3. Discuss in detail for total water requirement along with water source.
- 4. Worst case scenario, if applicable.
- 5. Probable Pollutants to be added while coming this industries
- 6. Corporate Environmental Responsibility
 - a. Involvement and efforts towards habitat improvement in Kheoni wildlife sanctuary.
 - b. Conservation of mine pit which is situated inside the project area.
 - c. Adoption of nearest village Magariya for socio economic activities.
 - d. Green belt development within and around the vicinity with the help of DFO.

अध्यक्ष महोदय, की अनुमति से चर्चा के अन्य बिन्दु

- पूर्व में रेत खदानों के जिन प्रकरणों सिमित द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की गई है, उसमें वर्णित शर्तों के परिपालन के संबंध में संबंधित जिले के खिनज अधिकारी, पुष्टि कराकर सिया को अवगत करावें तथा वर्तमान में जिन प्रकरणों में पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जा रही है, उसमें वृक्षारोपण सी.ई.आर एवं अन्य शर्तों का परिपालन माईनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा। पर्यावरण स्वीकृति शर्तों का परिपालन में देखना होगा।
- As per **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020**, Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river......bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.

• ऐसे प्रकरण जिसमें लीज ट्रांसफर हुई है।

समिति ने प्रकरण के परीक्षण में पाया पूर्व में डिया के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों में अर्थात डिया से प्रदाय की गई ई.सी के शर्तों के बारे में स्पष्टता नहीं है कि जिन्हे नई खदान स्वीकृत हुई है, उन्हे ई.सी की शर्तों का पालन करना है या नहीं ? किसको करना है यह स्प्ष्ट नहीं है। और न ही खदान की भू—स्वामी की सहमति स्पष्ट है

इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि डिया के प्रकरणों में फार्म—1 में Re-appraisal से बचने के लिये ऐसे नई खदान के रूप में कई प्रकरण सामने आ सकते है अतः सिया स्तर पर नीतिगत निर्णय लिया जाना उचित होगा।

(चंद्र मोहन ठाकुर)

सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)

अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

- 1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
- 4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
- 6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
- 8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
- 9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
- 10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
- 11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
- 15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
- 16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
- 24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
- 25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
- 29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
- 30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

- 34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

- 1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- 5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- 8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- 9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- 10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
- 11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
- 13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
- 14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- 15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

- 16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
- 18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
- 19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
- 27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - 1. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

- vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
- vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
- viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
- 31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

- 1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
- 2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
- 3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
- 4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
- 7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.

- 9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
- 10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
- 12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
- 14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through

- concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
- 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
- 37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
- 38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
- 39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
- 40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
- 41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
- 42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
- 43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.

44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

- 1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
- 2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
- 3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, waterbodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
- 4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
- 5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
- 6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
- 8. All documents should be properly indexed, page numbered.
- 9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
- 10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
- 11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
- 12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
- 13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
- 14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
- 15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
- 16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
- 17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
- 18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
- 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
- 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.

- 21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
- 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
- 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
- 25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
- 28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
- 29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna.
- 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
- 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
- 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
- 33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
- 34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
- 35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

- 36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA, following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

- 37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block
- 38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
- 39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
- 40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :--

- नोट 1:- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मुदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3:— पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मिल्चिंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4:— परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5:— भू—क्षरण स्थल पाये जाने पर भू—संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6:- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 — 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 — 05.5 फिट	05—10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई—गुड़ाई, थाला (1.5 मी गोलाई में)		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण।
- अंक्रण पश्चात् ४ से ६ पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट - 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिडकाव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षित नहीं पहूँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक / कृषको से सहमित पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले पिरयोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।